संदर्भ सं. राबैं. डोर/ 66 /पीपीएस- 09/ 2021-22 29 अप्रैल 2021

परिपत्र सं. राबैं. 80 / डोर - 26 / 2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी लघु वित्त बैंक

महोदया/ महोदय

लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष तरलता सुविधा - 2 (एसएलएफ़-2) के तहत पुनर्वित्त	**Refinance under Special Liquidity Facility-2 (SLF-2) for SFBs**
कोविड -19 महामारी से पिछले एक वर्ष में अभूतपूर्व रूप से एक के बाद एक कई समस्याएँ आई हैं और नाबार्ड ने इन बाधाओं को दूर करने हेतु और वित्तीय संस्थानों को अबाधित ऋण प्रवाह बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि समाज के वंचित वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की जा सके. जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों की तरलता बढ़ाने के लिए कदम उठाया है और दिनांक 07 अप्रैल 2021 के अपने पत्र के माध्यम से एसएलएफ़-2 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, लघु वित्त बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए रु.25000 करोड़ की राशि आबंटित की है.	Covid-19 pandemic has brought an unprecedented sequence of events in the last one year and NABARD has taken several measures to reduce disruptions and maintain unhindered flow of credit to financial institutions and thereby helping unreached segment of society to meet their credit needs. As you are aware, RBI has come forward to support in augmenting the liquidity position of the financial institutions and has made an allocation of Rs.25000 crore under SLF-2 vide their letter dated 07 April 2021 for refinancing RRBs, State Cooperative Banks, SCARDBs, SFBs and NBFC-mFIs.
2. तदनुसार, लघु वित्त बैंकों को विशेष तरलता सुविधा-2 (एसएलएफ-2), दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त दोनों पर जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदान की जाएगी, जो दिनांक 18 नवंबर 2020 के हमारे परिपत्र सं. 307 / डॉर - 95 / 2020 और दिनांक 12 अप्रैल 2021 के परिपत्र सं. No.67/डॉर-18/2021 के माध्यम से जारी किए गए हैं.	2. Accordingly, refinance under Special Liquidity Facility-2 (SLF-2) will be extended to SFBs based on both ST and LT refinance policy guidelines issued vide our circulars No.307/ DoR-95/2020 dated 18 November 2020 and No.67/DOR-18/2021 dated 12 April 2021.
3. चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक से एसएलएफ़-2 सुविधा, नाबार्ड द्वारा प्रथम आहरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होती है और उसे इस अवधि के भीतर चुकाया जाना होता है, इसलिए इस सुविधा	3. Since the SLF-2 from RBI is for a period of one year from the date of first drawl by NABARD and has to be repaid back within that time, the repayment period for this facility shall be 12 months with a minimum

के लिए चुकौती अवधि अल्पावधि पुनर्वित्त के मामले में न्यूनतम एक वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ12 माह अथवा एसएलएफ -2 की रिलीज़ के समय नाबार्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि होगी. दीर्घावधि पुनर्वित्त के मामले में, अपनी निधियों के योगदान से प्रदत पुनर्वित्त के मामलों में चुकौती अवधि 18 माह होगी. दीर्घावधि पुनर्वित्त के तहत लघु वित्त बैंक को शेष अवधि की आनुपातिक राशि इस अवधि के अंत में एकमुश्त रूप से चुकानी होगी. पुनर्वित्त की शेष राशि को एक या एक से अधिक किश्तों में मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट चुकौती अनुसूची के अनुसार चुकाना होगा.	lock-in-period of one year or as stipulated by NABARD during release of SLF-2 in case of ST refinance and 18 months duration by augmenting with our own funds in case of LT refinance. SFBs have to repay the proportionate amount of the balance period in one lump sum at the end of such period for the borrowing under LT refinance and the remaining amount of refinance has to be repaid in one or more instalments as per repayment schedule stipulated in the sanction letter.
4. इस सुविधा के तहत ब्याज दर समय-समय पर निर्धारित एल्को दरों के अनुसार होगी. एसएलएफ़-2 सुविधा के तहत उपलब्ध निधियों पर वर्तमान दर 5.50% और उस पर लागू जोखिम प्रीमियम है. दीर्घावधि पुनर्वित्त के मामले में, नाबार्ड के अपने संसाधनों से प्रदत्त शेष पुनर्वित्त पर उसी दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा जो सामान्य ऋण पर लागू होगी.	4. Interest rate under this facility shall be as per ALCO rates as decided from time to time. The current rate for the funds available under SLF-2 facility is 5.50% plus applicable risk premium. The balance amount of refinance provided from NABARD's own resources in case of LT refinance will be charged at a rate as applicable to normal lending.
5. इस सुविधा से संबन्धित पुनर्वित्त प्रस्ताव सीधे हमारे प्रधान कार्यालय, मुंबई को भेजें.	5. The refinance proposals may be submitted directly at our Head Office, Mumbai.
6. यह परिपत्र नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर सूचना केंद्र टैब के तहत भी उपलब्ध है.	6. The circular is also available on NABARD website www.nabard.org under the tab information Centre.
7. कृपया पावती भेजें.	7. Please acknowledge receipt.

भवदीय

(एल. आर रामचंद्रन)
मुख्य महाप्रबन्धक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉटक्रसी-**24**,'जी' ब्लॉक,बांद्रा-कुर्लाकॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - **400 051**. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ईमेल:dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org